राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

सूचना का अधिकार

क्रमांक :— RTI Cell/2020-21/366 दिनांक :— 2/2/2021

:: परिपत्र ::

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र कमांक प.20(84)प्रसू/सूअप्र/2009/पार्ट दिनांक 07.10.2020 एवं मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र कमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009/पार्ट दिनांक 23.11.2020 की अनुपालना में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन/अपील प्रस्तुत करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर द्वारा RTI Portal (www.rti.rajasthan.gov.in) राजस्थान आवासन मण्डल में भी दिनांक 25.01.2021 से आरम्भ किया जा चुका है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों द्वारा मण्डल के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को RTI Portal पर रजिस्टर किये जाने व पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों/अपीलों के साथ ही ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों/अपीलों को उक्त पोर्टल पर इन्द्राज किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था। समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन RTI Portal का अवलोकन करे एवं पोर्टल पर आये आवेदनों का समयावधि पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। मण्डल के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा SSO ID जारी की जा चुकी है।

उक्त सम्बन्ध में यदि आवेदनों के निस्तारण में विलम्ब होने पर सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कोई शास्ति या क्षतिपूर्ति का दोषारोपण होता है तो व्यक्तिगत स्तर पर सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी जिम्मेदार होगा। उक्त पोर्टल पर यदि किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी को कोई कठिनाई या असुविधा होने पर मण्डल के कम्प्यूटर प्रकोष्ठ प्रभारी या कम्प्यूटर प्रोग्रामर श्री संजय शर्मा, मोबाईल नम्बर 9829556793 पर सम्पर्क कर सकते है।

(संचिता बिश्नाई)
सचिव

प्रतिलिपी :—

1. तकनीकी –सहायक / अध्यक्ष,राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
2. उप सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। को भेजकर वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. समस्त लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल.......................................।
5. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (अभि.)